Circular No: PFRDA/2023/06/SUP-CRA/03 7th Feb 2023

CIRCULAR

To,

All Stakeholders under NPS

Subject: Minimum Timelines for Maximum Subscribers' benefits - Reduction in Turn Around Time to perform various activities from T+4 to T+2-reg

The intermediaries of PFRDA viz Central Recordkeeping Agencies (CRAs), Pension Funds (PFs) and Custodian have significantly enhanced the system interface and IT capabilities to reduce the timelines of various transactions for providing better subscriber experience to fulfill their evolving needs, as communicated vide Circular No **PFRDA/2022/23/SUP-CRA/08 dated 19th Sep 2022**.

2. PFRDA is pleased to inform about the addition of more services in the bouquet under T+2 timelines. Timeline for processing Partial Withdrawal requests has also been reduced to T+2 across all CRAs now. For instance, those partial withdrawal requests authorized on Monday till specified timelines shall be processed such that the Subscribers' Bank Account is credited on Wednesday, considering those 3 days are settlement days.

3. The updated list of CRA-wise activities which are processed on T+2 basis is provided in the Annexure for ready reference.

4. The reduced timelines will be introduced in a phased manner in the future for many more activities in the interest of Subscribers.

Yours sincerely,

Chief General Manager

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

https://www.govtstaff.com

Annexure

Subscriber transactions with a TAT of T+2 Settlement days

Associated CRA of Subscribers	List of Activities	TAT T+2 Settlement Days for
K Fin Technologies Ltd.	i. Superannuation ii. Premature Exit iii. Exit due to Death iv. Annuity Withdrawal v. Tier II Withdrawal vi. Partial Withdrawal vii. Scheme Preference Change viii. Re-balancing ix. PFM Change Request x. One-way Switch xi. Inter-sector change xii. ERM	Requests Authorized up-to 11 AM
CAMS	i. Superannuation ii. Premature Exit iii. Exit due to Death iv. Annuity Withdrawal v. Tier II Withdrawal vi. PFM Change Request vii. Scheme Preference Change viii. Partial Withdrawal ix. One way switch	Requests Authorized up-to 11 AM
Protean eGov Technologies Ltd.	i. Superannuation ii. Premature Exit iii. Exit due to Death iv. Family/Disability Pension v. Annuity Withdrawal vi. Tier II Withdrawal* vii. One Way Switch* viii. Re-balancing	Requests Authorized up-to 10:45 AM
Protean eGov Technologies Ltd.	i. Partial Withdrawal	Requests Authorized up-to 10:30 AM
Protean eGov Technologies Ltd.	i. Scheme Preference change	Requests Authorized up-to 10:00 AM

**'T' depends on the cut-off time for Settlement which varies between 10.30 am to 11.00 am, however, may change depending upon other settlement factors.*

https://www.govtstaff.com

परिपत्र सं. : PFRDA/2023/06/SUP-CRA/03 7 फरवरी 2023

परिपत्र

प्रति,

एनपीएस के तहत सभी हितधारक

विषय : अभिदाताओं की अधिकाधिक सुविधा के लिए न्यूनतम समयसीमा – विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु समयसीमा को टी+4 से घटाकर टी+2 किए जाने के सम्बन्ध में

पीएफआरडीए के मध्यवर्ती संस्थाओं अर्थात केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए), पेंशन निधियों (पीएफ) और अभिरक्षक ने अभिदाताओं की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन्हें बेहतर अनुभव प्रदान करने हेतु विभिन्न लेनदेन की समय सीमाओं को घटाने के लिए अपने सिस्टम इंटरफेस और आईटी क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार किये है, जैसा कि **दिनांक 19 सितंबर 2022** के परिपत्र संख्या **PFRDA/2022/23/SUP-CRA/08** के माध्यम से सूचित किया गया है।

2. पीएफआरडीए को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टी+2 समयसीमा के बुके के तहत अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी जा रही हैं। सभी सीआरए द्वारा आंशिक निकासी अनुरोधों के निपटान की समयसीमा को भी घटाकर टी+2 कर दिया गया है। यानी, सोमवार को निर्धारित समय सीमा तक अधिकृत आंशिक निकासी अनुरोधों का इस प्रकार निपटान किया जायेगा कि बुधवार को लाभार्थी के बैंक खाते में राशि जमा हो जाये, यह मानते हुए कि ये तीन दिवस निपटान दिवस है।

3. टी+2 आधार पर संसाधित की जाने वाली गतिविधियों की सीआरए-वार अपडेटेड सूची तत्काल संदर्भ के लिए अनुलग्नक में दी गई है।

4. अन्य गतिविधियों के लिए घटाई गई समय-सीमाओं को अभिदाताओं के हित में भविष्य में चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

भवदीय,

मुख्य महाप्रबंधक

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

https://www.govtstaff.com

अनुलग्नक

टी+2 निपटान दिवसों के नियतकालिक समय में अभिदाता संव्यवहार

अभिदाताओं से सम्बन्धित सीआरए	गतिविधियों की सूची	नियतकालिक समय टी+2 निपटान दिवसों हेतु
के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	i. सेवानिवृत्ति ii. समयपूर्व निकासी iii. मृत्यु के कारण निकासी iv. वार्षिकी प्रत्याहरण v. टियर II प्रत्याहरण vi. आंशिक प्रत्याहरण vii. योजना वरीयता परिवर्तन viii. पुन: संतुलन ix. पीएफएम परिवर्तन अनुरोध x. वन-वे स्विच xi. इन्टर सेक्टर परिवर्तन xii. ईआरएम	प्रातः 11 बजे तक प्राधिकृत अनुरोध
सीएएमएस	i. सेवानिवृत्ति ii. समयपूर्व निकासी iii. मृत्यु के कारण निकासी iv. वार्षिकी प्रत्याहरण v. टियर II प्रत्याहरण vi. पीएफएम परिवर्तन अनुरोध vii. योजना वरीयता परिवर्तन viii. आंशिक प्रत्याहरण ix. वन-वे स्विच	प्रातः 11 बजे तक प्राधिकृत अनुरोध
प्रोटियन eGov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	i. सेवानिवृत्ति ii. समयपूर्व निकासी iii. मृत्यु के कारण निकासी iv. पारिवारिक/विकलांगता पेंशन v. वार्षिकी प्रत्याहरण vi. टियर II प्रत्याहरण * vii. वन वे स्विच * viii. पुन:संतुलन	प्रातः 10:45 बजे तक प्राधिकृत अनुरोध
प्रोटियन eGov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	i. आंशिक प्रत्याहरण	प्रातः 10:30 बजे तक प्राधिकृत अनुरोध
प्रोटियन eGov टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	i. योजना वरीयता परिवर्तन	प्रातः10:00 बजे तक प्राधिकृत अनुरोध

** 'टी', निपटान के लिए कट-ऑफ समय पर निर्भर करता है जो सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच बदलता रहता है, हालांकि, यह अन्य निपटान कारकों के आधार पर भी बदल सकता है।*

https://www.govtstaff.com